न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

प्रार्थना पत्र संख्या 24/13

तारीख रजू– 07/10/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

——प्रार्थी

बनाम

रामप्रसाद पुत्र किशन्या 2– रकम पत्नी गिर्राज जाति गूर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी।

——अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक– 14/10/15

अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28/06/06 से वाद प्रार्थनापत्र संख्या 214/05 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को समीक्षार्थ एवम् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम भावता का नामान्तरकरण संख्या 63 दिनांक 14/06/02 गैर खातेदारी बाबत आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.30 हेक्टर बहक अप्रार्थी निरस्त करने की राय के साथ प्रेषित किया गया था जिसपर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12/06/13 से हस्तगत रेफरेन्स अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जाकर अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि अदालत हाजा वर्तमान जमाबन्दी के अंकन जिस जिस आवंटन आदेश से सृजित हुए है उस आदेश का परीक्षण करे व यदि आवश्यक समझे तो अपनी स्पष्ट राय के साथ उक्त आदेशो के विरूद्व रेफरेन्स पुनः प्रस्तुत करें।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान की तलबी जरिये सम्मन की गई व प्रार्थी से आवंटन आदेश की प्रति चाही गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित हुए व आवंटन आदेश की प्रति व टिप्पणी प्रार्थी से प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि ग्राम भावता मे दिनांक 14/06/2002 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक मे उपजिला मजिस्ट्रेट,गंगापुरसिटी द्वारा ग्राम भावता के हाल खसरा नम्बर 211 रकवा 0.30 हैक्टर का आवंटन अप्रार्थी को किया गया था। उक्त खसरा नम्बर की आराजी मुताबिक खतौनी संवत 2003 मे गै0मु0नाला थी। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालाब,नदी नालें आदि जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। गै0मु0नाला की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02/08/2004 की पालना मे प्रकरण अभिशंषा के साथ अप्रार्थीगण को हुए आबंटन व उसके पश्चात स्वीकृत किये गये गैर खातेदारी नामान्तरकरणो को निरस्तीकरण हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे तर्क दिया कि अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28/06/06 से अप्रार्थीगण को हुए आवंटन पर, आवंटन की पालना मे अप्रार्थीगण के पक्ष मे स्वीकृत किये गये गेर खातेदारी का नामान्तरकरण को निरस्त करने की राय के साथ प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल,अजमेर को प्रेषित किया गया था परन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अदालत हाजा द्वारा प्रेषित रेफरेन्स अपूर्ण होने की वजह से अदालत हाजा को आवंटन की वैद्यता की जॉच करने हेतु प्रेषित किया है। वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आबंटन, आवंटन सलाहकार समिति की बैठक मे वाद जॉच किया गया है ओर जब आवंटन नियमो के परिपेक्ष्य मे आबंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है तो आवंटन की पालना मे अप्रार्थीगण के विरूद्व तस्दीक किये गये गैर खातेदारी के नामान्तकरण भी नियमो के परिपेक्ष्य मे अप्रार्थीगण को हुए आवंटन के आधार पर ही स्वीकार किये गये है। आबंटन आदेश व स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणो मे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाद प्रार्थनापत्र संख्या 24/13 सरकार/गिर्राज वगै0

...कार की अनियमितता व अवैधानिकता नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रेषित रेफरेन्स खारिज फरमाया

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात ...ष्कर्ष निकलता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह रेफरेन्स अदालत हाजा को निर्णय ...क 12/06/13 से अप्रार्थीगण को हुए आवंटन की वैद्यता की जॉच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। ...स्तुत रेफरेन्स मे कार्यवाही ड्राप की जाकर प्रकरण तहसीलदार गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ ...षित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण को हुआ आवंटन की जॉच करे व अप्रार्थीगण को हुआ ...टन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 ...न्तर्गत आता हो तो अप्रार्थीगण हो हुए आवंटन को निरस्तीकरण करने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय मे

निर्णय आज दिनांक 14/10/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे ...या गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर